eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 03, March 2025

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आमजन के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर प्रभाव : एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ.रमन प्रकाश[1]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर – भूगोल विभाग, भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद, उ0प्र0

Received: 15 March 2025 Accepted & Reviewed: 25 March 2025, Published: 28 March 2025

Abstract

भारत एक विविधता पूर्ण और जनसंख्या प्रधान देश है, जहाँ समाज का एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर और संसाधन–वंचित है। ऐसे परिवेश में राज्य की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रभावी योजनाएँ संचालित करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। पीडीएस का विकास किफायती कीमतों पर खाद्यान्न वितरण के माध्यम से खाद्यान्न की कमी के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में हुआ। पीडीएस का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत होता है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन की जिम्मेदारी संभाली है। राज्य के भीतर आवंटन, पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी आदि सहित परिचालन संबंधी ज़िम्मेदारियाँ राज्य सरकारों की हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत, वर्तमान में गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी वस्तुएँ वितरण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जा रही हैं। कुछ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के माध्यम से जन उपभोग की अतिरिक्त वस्तुएँ जैसे दालें, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि भी वितरित करते हैं।

बीज शब्द– सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न वितरण, मूलभूत आवश्यकता

Introduction

भारत एक विविधता पूर्ण और जनसंख्या प्रधान देश है, जहाँ समाज का एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर और संसाधन–वंचित है। ऐसे परिवेश में राज्य की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रभावी योजनाएँ संचालित करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य निर्धन और वंचित वर्गों को आवश्यक वस्तुएँ, विशेषकर खाद्यान्न, रियायती दरों पर उपलब्ध कराकर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना है। यह प्रणाली न केवल खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि वितरित किए जाते हैं, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और जीवन स्तर में सुधार आता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश के विभिन्न राज्यों, जिलों और ग्रामों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुँच, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय अंतर देखने को मिलता है। यह अंतर जनसंख्या घनत्व, संसाधन उपलब्धता,

भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था तथा सामाजिक चेतना जैसे कारकों से प्रभावित होता है। इसी कारण यह आवश्यक हो जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में किया जाए, ताकि यह समझा जा सके कि यह व्यवस्था किन क्षेत्रों में सफल है, कहाँ पिछड़ रही है, और उसमें किन सुधारों की आवश्यकता है। यह अध्ययन आमजन के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर च्वै के प्रभाव को मापने का प्रयास करता है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, रोजगार, जीवन गुणवत्ता, सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण जैसे पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य न केवल वितरण प्रणाली की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है, बल्कि उसके व्यवहारिक पक्ष, भौगोलिक असमानताओं और संभावित सुधारों की पहचान कर नीति–निर्माताओं को ठोस सुझाव भी प्रदान करना है।

अध्ययन का उद्देश्य –

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संरचना एवं कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना।
2. PDS के कारण आमजन के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में आए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना।
3. वितरण प्रणाली की भौगोलिक विषमताओं का अध्ययन करना।
4. नीति–निर्माताओं को व्यवहारिक सुझाव प्रदान करना।

अध्ययन की सीमा – यह अध्ययन भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और राजस्थान जैसे राज्यों पर केंद्रित है। अध्ययन में राशन कार्ड धारकों की स्थिति, वितरण प्रणाली की पहुँच, और खाद्य सुरक्षा के स्तर का आकलन किया गया है।

अनुसंधान पद्धति–

- प्रकार– वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन
- स्रोत– प्राथमिक स्रोत (साक्षात्कार, सर्वेक्षण) एवं द्वितीयक स्रोत (सरकारी रिपोर्टें, नीति दस्तावेज)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पृष्ठभूमि – PDS की शुरुआत 1940 के दशक में की गई थी। समय के साथ इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवर्तित किया गया, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी गई। हाल के वर्षों में **वन नेशन वन राशन कार्ड** जैसी योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे प्रवासी मज़दूरों को राहत मिली है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–

1. स्वतंत्रता पूर्व काल (1939–1947)– PDS की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुई थी। उस समय युद्ध, सूखा और आपूर्ति में बाधाओं के कारण खाद्यान्न की भारी कमी हो गई थी। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों की किल्लत को देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने और जनता को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एक सीमित वितरण प्रणाली शुरू की।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 03, March 2025

2. **स्वतंत्रता के बाद का प्रारंभिक काल (1947—1965)—** स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने खाद्य आपूर्ति को एक प्राथमिकता के रूप में अपनाया। हालांकि उस समय खाद्यान्न उत्पादन कम था और देश को विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था। वर्ष 1951 में भारत सरकार ने **फूड ग्रेन्स रेशनिंग** व्यवस्था को औपचारिक रूप से लागू किया, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। इस चरण में वितरण मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित था।

हरित क्रांति और पीडीएस का विस्तार (1965—1991)—

1. **हरित क्रांति का प्रभाव—** 1960 के दशक में देश ने हरित क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाया, जिसके कारण गेहूं और चावल जैसी प्रमुख फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। इससे खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ने लगा। परिणामस्वरूप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायरा शहरी क्षेत्रों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों तक फैलाया गया।

2. **भारतीय खाद्य निगम की स्थापना—** 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई, जो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज खरीदने, उसे संग्रहित करने और फिर च्वै के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का कार्य करता है।

3. **नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की भूमिका—** PDS के संचालन हेतु भारत सरकार ने नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की स्थापना की, जो खाद्य पदार्थों के वितरण एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेदार बना। राज्य सरकारें वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में सहायक बनीं।

उदारीकरण के बाद का दौर (1991—2000)— 1991 में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, तब सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं में सुधार की दिशा में भी कदम बढ़ाए। इसी के तहत PDS की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे, जैसेकृभ्रष्टाचार, अपात्र लाभार्थियों को लाभ मिलना, खाद्यान्न की चोरी, आदि।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली— 1997 में भारत सरकार ने Targeted Public Distribution System (TPDS) की शुरुआत की। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता देते हुए सब्सिडी आधारित खाद्यान्न प्रदान किया गया, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर वालों को सीमित मात्रा और उच्च कीमत पर सामग्री दी गई।

21वीं सदी में सुधार और विस्तार (2000—अब तक)—

1. **अंत्योदय अन्न योजना (2000)—** 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज प्रति परिवार प्रति माह केवल ₹2/किलो गेहूं और ₹3/किलो चावल की दर पर उपलब्ध कराना था।

2. **खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013—** 2013 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पारित किया, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कानूनी अधिकार आधारित प्रणाली में परिवर्तित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न की गारंटी दी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 03, March 2025

गई। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज (₹1दृ₹3 प्रति किलो) मिलने का प्रावधान किया गया।

राज्य / UT	अनुमानित जनसंख्या (मिलियन)	NFSA कवरेज (%)	पात्रता (मिलियन)	लाभार्थी (मिलियन)
बिहार	124.9	84	104.8	87.3
उत्तर प्रदेश	237	76	180.6	150
महाराष्ट्र	122.9	62	76.6	68.3
मध्य प्रदेश	85.2	75	64.2	54.4
तमिल नाडु	77.9	51	39.4	36.6
आंध्र प्रदेश	53.8	54	29.2	26.8
पंजाब	30	51	15.3	13.3
ओडिशा	46.2	78	35.9	33.3
छत्तीसगढ़	29.3	79	23	19.4
तेलंगाना	39.1	54	21.2	19.2

3. डिजिटल और तकनीकी सुधार—

1. ई—राशन कार्ड— लाभार्थियों के डिजिटल पंजीकरण और राशन कार्ड को आधार से जोड़ना।

2. POS मशीनों का उपयोग— दुकान पर वास्तविक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण।

3. वन नेशन वन राशन कार्ड 2020 में शुरू की गई यह योजना प्रवासी श्रमिकों को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा देती है।

सामाजिक प्रभाव—

1. सामाजिक सुरक्षा का सशक्त माध्यम— PDS ने गरीब, वंचित, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएँ और बुजुर्ग जैसे कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है। इससे उनका जीवन यापन अधिक सशक्त और सुरक्षित हुआ है। खाद्यान्नों की सुलभता ने भुखमरी जैसी समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 03, March 2025

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ आय के साधन सीमित हैं, वहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है।

2. सामाजिक समानता को बढ़ावा– PDS ने आर्थिक वर्ग के आधार पर सामग्री उपलब्ध कराकर समाज में समानता का वातावरण बनाने में मदद की है। यह प्रणाली गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को कम करने में सहायक रही है। गरीबों को रियायती दर पर अनाज मिलने से उन्हें वह अधिकार मिला, जो पहले केवल संपन्न वर्गों के लिए सुलभ था। राशन प्रणाली का लाभ जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव से परे सभी पात्र नागरिकों को मिलता है, जिससे सामाजिक समरसता को बल मिला है।

3. महिला सशक्तिकरण में योगदान– PDS के माध्यम से जब भोजन और ईंधन जैसे बुनियादी संसाधन सुलभ होते हैं, तो घरेलू महिलाओं पर बोझ कम होता है। इससे वे अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेने योग्य बनती हैं। कई राज्यों में राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर जारी किए जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक पहचान सशक्त होती है। महिलाओं की पोषण सुरक्षा भी इससे सुनिश्चित होती है, जो गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है।

4. स्वास्थ्य और पोषण पर प्रभाव– PDS ने समाज के निर्धनतम वर्गों के पोषण स्तर को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाने में यह प्रणाली उपयोगी रही है। खाद्यान्न की नियमित उपलब्धता से बच्चों की वृद्धि में सुधार देखा गया है। जन वितरण प्रणाली से प्राप्त अनाज, मध्यान्ह भोजन योजना और ICDS जैसी योजनाओं से जुड़कर पोषण सुधार की दिशा में सहयोग करती है।

5. सामाजिक संकट के समय राहत– प्राकृतिक आपदाएँ (जैसे–बाढ़, सूखा, भूकंप) अथवा महामारी (जैसे–COVID-19) के समय PDS ने समाज को संकट से उबारने में बड़ी भूमिका निभाई है। लॉकडाउन के दौरान करोड़ों प्रवासी श्रमिकों और गरीब परिवारों को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित कर भूख से बचाया गया। "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" जैसी विशेष योजनाएँ PDS के माध्यम से ही सफल रहीं।

6. प्रवासी श्रमिकों की सहायता– 2020 में शुरू की गई वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना ने प्रवासी मज़दूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन प्राप्त करने की सुविधा दी। इससे समाज के उस वर्ग को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान हुई, जो अक्सर लाभ से वंचित रह जाते थे।

7. शिक्षा और श्रम में सुधार– जब भोजन की चिंता कम होती है, तब समाज शिक्षा और श्रम जैसे क्षेत्रों में अधिक संलग्न हो पाता है। PDS ने बच्चों की विद्यालय उपस्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है। जब परिवारों को भोजन की सुलभता मिलती है, तो वे बच्चों को शिक्षा के लिए भेजना प्राथमिकता देते हैं। कार्यशील वर्ग के स्वास्थ्य में सुधार से श्रम उत्पादकता बढ़ती है।

8. सामाजिक असंतोष और अपराध में कमी–

- PDS ने गरीबों को आवश्यक सामग्री देकर उन्हें रोज़मर्रा की कठिनाइयों से बचाया है। इससे सामाजिक अशांति और अपराध की संभावनाएँ कम हुई हैं।

- भूख और गरीबी से उपजे तनावों में कमी आई है।
- सामाजिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली है।

9. पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक संरचना पर प्रभाव— PDS के कारण जब परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री मिलती है, तो परिवारजनों के बीच आपसी तनाव भी कम होते हैं। इससे पारिवारिक स्थायित्व और सामाजिक ताने—बाने में मजबूती आती है।

10. सामाजिक चेतना और भागीदारी में वृद्धि— जन वितरण प्रणाली के सुधार हेतु कई राज्यों में स्थानीय निगरानी समितियाँ, ग्राम सभाएँ, और पारदर्शिता पहल शुरू की गईं, जिससे आमजन को भी व्यवस्था में भागीदार बनाया गया। इससे आम नागरिकों में जागरूकता और भागीदारी की भावना विकसित हुई। स्थानीय सामाजिक संगठनों की भूमिका बढ़ी है।

आर्थिक प्रभाव—

1. गरीबी उन्मूलन में योगदान— PDS ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे करोड़ों परिवारों को खाद्यान्न सुलभ कराकर उनके मासिक व्यय में उल्लेखनीय कमी की है। गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर अनाज मिलने से उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा बचता है, जिसे वे अन्य आवश्यकताओं – जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और आवास – पर खर्च कर सकते हैं। उदाहरण— एक सामान्य बीपीएल परिवार को यदि बाजार मूल्य ₹25/माह पर मिलने वाला चावल ₹3/माह में मिले, तो 20 किलो चावल पर उसे ₹440 की बचत होती है – जो उसकी कुल आय का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।

2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर नियंत्रण— सरकारी सब्सिडी पर दी जाने वाली वस्तुओं के कारण खाद्यान्नों के बाजार मूल्य पर नियंत्रण बना रहता है। इससे महँगाई दर में स्थिरता आती है, जिससे आम नागरिकों की क्रय शक्ति पर अचानक दबाव नहीं पड़ता। PDS आवश्यक वस्तुओं की मांग और आपूर्ति संतुलन बनाए रखने में भी सहयोग दिया है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को स्थिर रखने में सहायक है, जो आर्थिक नीतियों का एक प्रमुख निर्धारक होता है।

3. सार्वजनिक खर्च में वृद्धि और बजटीय दबाव— PDS को बनाए रखने के लिए सरकार को हर वर्ष भारी मात्रा में सब्सिडी देनी पड़ती है। 2023दृ24 में खाद्य सब्सिडी पर भारत सरकार का खर्च ₹2.1 लाख करोड़ से अधिक था। यह व्यय राजकोषीय घाटा बढ़ाने में योगदान देता है, जिससे सरकार को अन्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में कटौती करनी पड़ सकती है। हालाँकि यह खर्च कल्याणकारी होता है, फिर भी इससे राजकोषीय संतुलन पर दीर्घकालिक दबाव उत्पन्न होता है।

4. कृषि क्षेत्र को समर्थन— PDS के संचालन हेतु सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद करती है। इससे किसानों को एक निश्चित मूल्य की गारंटी मिलती है, जो उन्हें कृषि उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। गेहूं, चावल, दाल आदि की सरकारी खरीद से किसानों की आय में स्थिरता आती है। इससे कृ षि क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में प्रेरणा मिलती है।

5. रोजगार सृजन– PDS ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया है। सरकारी गोदामों, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों, उचित मूल्य की दुकानों, और वितरण नेटवर्क में भारी मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। गाँवों में PDS दुकानें ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का साधन भी बनती हैं।

6. निजी बाजार पर प्रभाव– PDS के कारण जब सरकारी रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध होता है, तो इससे निजी व्यापारियों को अपनी मूल्य–नीति समायोजित करनी पड़ती है। इससे कई बार स्थानीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा और मूल्य में स्थिरता आती है। लेकिन कुछ मामलों में यह निजी व्यापारियों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा भी बनता है, जिससे बाजार प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

7. भ्रष्टाचार और रिसाव– PDS की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती यह है कि खाद्यान्न की एक बड़ी मात्रा अंतिम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँच पाती। योजना आयोग की 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार, PDS से जारी किया गया लगभग 58% अनाज लाभार्थियों तक नहीं पहुँचता। यह अनाज अक्सर काले बाजार में बेचा जाता है, जिससे सरकार का सब्सिडी व्यय व्यर्थ जाता है और असंगठित व्यापार को बढ़ावा मिलता है।

8. वित्तीय समावेशन में सहायक– आधार, बैंक खातों और मोबाइल से जुड़ी DBT प्रणाली के प्रयोग से च्वै के तहत नकद सब्सिडी भी दी जाती है (जैसे कि मिट्टी का तेल)। इससे लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में मदद मिली है, जो आर्थिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

9. आर्थिक संकट में सहारा– COVID–19 महामारी के दौरान जब लाखों लोग बेरोजगार हुए, तब PDS ने उन्हें आर्थिक रूप से जीवित रहने का सहारा दिया। "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मिला, जिससे उनके पास नकद बचा रहा और वे अन्य खर्च चला सके। यह संकट काल में उपभोग स्तर बनाए रखने और मांग में गिरावट को रोकने के लिए अत्यंत उपयोगी रहा।

10. क्षेत्रीय असंतुलन और लागत संरचना– देश के विभिन्न राज्यों में च्वै की लागत, पहुँच और प्रभावशीलता में अंतर देखने को मिलता है। कुछ राज्यों में यह व्यवस्था अत्यधिक प्रभावी (जैसे– तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़), जबकि कुछ राज्यों में कमजोर है। इससे आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण की स्थिति बनती है, जो आर्थिक विषमता को और बढ़ा सकती है।

चुनौतियाँ–

1. नकली राशन कार्ड – देश में बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड पाए गए हैं। अनेक ऐसे लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं जो इसके लिए पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत, बहुत से गरीब एवं पात्र लोग ठच्स् सूची में नाम न होने के कारण इस योजना से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति सामाजिक असंतोष को जन्म देती है।

2. वितरण में पारदर्शिता की कमी – भारत के विभिन्न राज्यों में PDS की प्रभावशीलता अलग–अलग है। दक्षिण के राज्यों जैसे केरल और तमिलनाडु में यह प्रणाली अपेक्षाकृत पारदर्शी और सफल है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में अनियमितताएँ अधिक देखने को मिलती हैं। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में राशन दुकानों की उपलब्धता और पहुँच भी एक बड़ी चुनौती है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 03, March 2025

3. अनाज की गुणवत्ता संबंधी शिकायतें – कई बार लाभार्थियों को खराब गुणवत्ता का अनाज दिया जाता है। चावल में पत्थर या कीड़े पाए जाते हैं। गेहूं खाने लायक नहीं होता। इससे न केवल योजना की साख गिरती है, बल्कि लोग इसका लाभ उठाने से कतराते हैं।

4. भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी– PDS में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। कई बार डीलर खाद्यान्नों की कालाबाजारी करते हैं। राशन कार्डधारियों को पूरी मात्रा में अनाज नहीं दिया जाता, और बचे हुए अनाज को बाजार में ऊँची कीमत पर बेच दिया जाता है। इसके अलावा, लाभार्थियों की सूची में अपात्र लोगों को शामिल कर लिया जाता है, जबकि वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति वंचित रह जाते हैं।

5. खाद्यान्नों की रिसाव की समस्या– FCI द्वारा खरीदा गया अनाज जब लाभार्थी तक पहुँचता है, तब तक उसकी एक बड़ी मात्रा चोरी, गबन या बर्बादी के रूप में नष्ट हो जाती है। यह 'रिसाव' PDS की सबसे गंभीर आर्थिक चुनौती है। अनुमानों के अनुसार, कुछ राज्यों में 40–50 प्रतिशत अनाज बीच रास्ते में ही गायब हो जाता है।

6. तकनीकी समस्याएँ और डिजिटल भेदभाव– हाल के वर्षों में आधार, POS मशीन और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से प्रणाली को डिजिटल किया गया है। हालांकि इससे पारदर्शिता बढ़ी है, परंतु तकनीकी खराबी, इंटरनेट की अनुपलब्धता, और बुजुर्गों व अशिक्षितों की अनभिज्ञता के कारण कई बार पात्र व्यक्ति राशन से वंचित रह जाते हैं।

7. भंडारण और परिवहन संबंधी समस्याएँ– सरकारी गोदामों में अनाज के संग्रहण और संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमजोर है। कई बार खुले में भंडारण किया जाता है, जिससे अनाज खराब हो जाता है या चूहे खा जाते हैं। परिवहन के दौरान चोरी और हेराफेरी की घटनाएँ भी सामने आती हैं।

8. सब्सिडी का बढ़ता बोझ– PDS के तहत खाद्यान्नों पर भारी सब्सिडी दी जाती है, जिससे सरकार पर वित्तीय दबाव पड़ता है। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे जैसी अन्य ज़रूरी सेवाओं में कटौती का कारण बन सकती है।

9. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की व्यावहारिक चुनौतियाँ– यद्यपि यह योजना प्रवासी मजदूरों के लिए एक सकारात्मक पहल है, परंतु सभी राज्यों में इसकी प्रवेश प्रक्रिया और तकनीकी एकीकरण अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। इससे प्रवासियों को समय पर राशन नहीं मिल पाता।

सुझाव–

- डिजिटल निगरानी प्रणाली का विस्तार
- GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम
- स्थानीय निगरानी समितियों की स्थापना
- जन जागरूकता अभियान
- "वन नेशन वन राशन कार्ड" नीति को तेजी से लागू करना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत की खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण का एक मजबूत स्तंभ है, लेकिन इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं जो इसके प्रभाव को सीमित करती हैं। रिसाव, भ्रष्टाचार, असमान पहुँच, तकनीकी समस्याएँ और प्रशासनिक अक्षमता जैसी बाधाएँ इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में रोड़े बन रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने भारत के आमजन के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि क्षेत्रीय विषमताएं और प्रणाली गत खामियाँ मौजूद हैं, फिर भी यह प्रणाली गरीबों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है। यदि इसकी पारदर्शिता और पहुंच में सुधार किया जाए, तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक सशक्त साधन सिद्ध हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. भारत सरकार. (2021). वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय.

2. योजना आयोग. (2011). भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का मूल्यांकन अध्ययनरू घरेलू और पोषण सुरक्षा की दृष्टि से. भारत सरकार.

3. स्वामीनाथन, एम. (2008). भारत में खाद्य सुरक्षा का सार्वभौमिकरण. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 43 (29), 55–60.

4. सक्सेना, एन. सी. (2011). भारत में भूख, अल्पपोषण और खाद्य सुरक्षा. मानव विकास संस्थान एवं यूएनडीपी.

5. शर्मा, आर. (2020). भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणालीरू प्रदर्शन और चुनौतियों का मूल्यांकन. जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, 12(2), 23–31.